डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. मरगूब अहमद पुत्र मतलूब हुसैन
2. मुफीद अहमद पुत्र मतलूब हुसैन (मृतक)
   2/1 खुर्शीद जहाँ पत्नि मुफीद अहमद
   समस्त जाति मुसलमान निवासी काजी पाडा टोडाभीम
   2/2 अनम खातून पुत्री मुफीद अमहद पत्नि फरीदूददीन जाति मुसलमान निवासी काजी पाडा टोडाभीम हालवासी चार दरवाजा जयपुर।
3. जमील अहमद पुत्र मतलूब हुसैन जाति मुसलमान निवासी काजी पाडा टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. वन प्रसार अधिकारी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती
2. उपवन सरंक्षक भू–सरक्षण करौली।
3. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 22/2014

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट, मिनकानिब मुदई रूबरू, रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है।

निज.....................मुबलिंग...........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.12.2019 को जारी की गई।

दस्तखत........
ओहदा........ उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 22/2014

तारीख रजू 20.03.2014

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. मरगूब अहमद पुत्र मतलूब हुसैन
2. मुफीद अहमद पुत्र मतलूब हुसैन (मृतक)
   2/1 खुर्शीद जहॉ पत्नि मुफीद अहमद
   समस्त जाति मुसलमान निवासी काजी पाडा टोडाभीम
   2/2 अनम खातून पुत्री मुफीद अमहद पत्नि फरीदूददीन जाति मुसलमान निवासी काजी पाडा टोडाभीम हालवासी चार दरवाजा जयपुर।
3. जमील अहमद पुत्र मतलूब हुसैन जाति मुसलमान निवासी काजी पाडा टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. वन प्रसार अधिकारी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती
2. उपवन सरंक्षक भू–सरक्षण करौली।
3. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट (वादीगण)

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट (प्रतिवादीगण)

निर्णय — दिनांकः– 26.12.2019

वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि आराजी साबिक ख0न0 175/351 मिन. रकवा 44 बीधा बाके ग्राम असरो के हाल ख0न0 574/8.28, 589/0.20, 590/0.11, 591/0.11, 592/0.03, 635/0.28, 574/929/0.37 बने है जिनकी खातेदारी महकमा जंगलात के हक मे दर्ज रिकार्ड है।

यह है कि उक्त आराजी वादीगण के कब्जे व खातेदारी की आराजी है, जिसमे वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही मवेशी चराते आ रहे है, एवं पाला एवं छप्पर बनाने के पुडे काटते चले आ रहे है। जिसकी खातेदारी सम्वत 2012 तक वादीगण के पूर्वज महमूद हक के हक मे दर्ज रिकार्ड चली आ रही है जो जमाबन्दी सम्वत 2009'–2012 राजस्व रिकार्ड से बखूबी साबित है लेकिन रेवन्यू कर्मचारीगण ने गैरकानूनी तरीके से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2009–12 मे आदेश संख्या 430 दिनांक 7.5.1957 का नोट डाल दिया। और आगामी बनने वाले राजस्व रिकार्ड से वादीगण के पूर्वज महमूद हक का नाम काश्तकार के कालम से हजफ कर महकमा जंगलात दर्ज कर दिया। जबकि ऐसा कोई आदेश वादीगण के पूर्वज महमूद हक या वादीगण के खिलाफ कभी–भी पारित नही हुआ। प्रतिवादी न0 3 द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व वादीगण या उसके पूर्वजो को नातो कोई नोटिस दिया और नाही सुना गया, नाही मुआवजा दिया गया, नाही भूमि मुतनाजा बावत कोई आवाप्ति की कार्यवाही की गई। उक्त आदेश बमुकाबले वादीगण गलत एवं अवैध है एवं एवईनिश्यियो

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

नल एण्ड बोईड प्रभावहीन है। आदेश तारीखी 7.5.1957 का इन्द्राज कर वादीगण की खातेदारी हजफ की है, जिसकी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

उक्त आराजी वादीगण की पैतृक आराजी है। वादीगण प्रतिवादीगण की जानकारी मे लगातार अपने पूर्वजो के समय से सैकडो साल से अपने मवेशी चराते चले आ रहे है। एवं बकरियो का चारा (पाला) एवं छान बनाने के पूडे काटते चले आ रहे है। इसलिये हाल ख0न0 574/8.28, 589/0.20, 590/0.11, 591/0.11, 592/0.03, 635/0.28, 574/929/0.37 है0 मे खातेदारी अपने हक मे दर्ज करा पाने के अधिकारी है। महकमा जंगलात के हक मे गलत रूप से खातेदारी दर्ज कर दिये जाने से उनके मन मे बदयान्ति आ गई है और वादीगण को बेदखल करने पर तुले हुये है। बॉका दिनांक 3.2.2014 का है कि वादीगण उक्त विवादित आराजीयात मवेशी चराने गये तो प्रतिवादीगण 1 व 2 के कर्मचारीयो ने वादीगण को मवेशी चराने से मना कर दिया। वादीगण ने कहा कि यह भूमि हमारे पूर्वजो से हमारे खातेदारी की है। हमे मवेशी क्यो नही चराने दे रहे हो। इसके बाद जमाबन्दी की नकल ली, तब इन्द्राजात का पता चला। प्रतिवादीगण सरकारी मुलाजिम है जिनके खिलाफ दावा दायरी करने से पूर्व धारा 80 जाप्ता दीवानी का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण को एक-दो दिन मे ही उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमदा है। ऐसी स्थिति मे यह दावा बिना नोटिस दिये ही पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण बखिलाफ प्रवितादीगण बावत इन्द्राज दुरूस्ती घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर ख0न0 574/8.28, 589/0.20, 590/0.11, 591/0.11, 592/0.03, 635/0.28, 574/929/0.37 है0 ग्राम असरो का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं महकमा जंगलात का नाम हजफ किया जावे। तथा प्रवितादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को बेदखल नही करे, मवेशी को चराने से पाला व छान बनाने के पूले काटने से नही रोके।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट उपस्थित हुये। कार्यालय जिला कलक्टर करौली प्रकरण मे जबाब प्रस्तुत करने के लिये श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट को पैरवी करने के लिये अभिभाषक नियुक्त किया तथा कार्यालय मुख्य वन संरक्षक भरतपुर ने जबाब प्रस्तुत करने के लिये वन प्रसार अधिकारी गुढाचन्द्रजी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। जबाब दावा प्रस्तुत किया कि वादपत्र मे वर्णित विवादित आराजीयात ख0न0 574/8.28, 589/0.20, 590/0.11, 591/0.11, 592/0.03, 635/0.28, 574/929/0.37 है0 ग्राम असरो की खातेदारी राजस्थान सरकार महकमा जगंलात के नाम अन्य खसरा नम्बरान के साथ दर्ज है। साबिक ख0न0 175/351 मिन. रकवा 44 बीघा बाके ग्राम असरो की जमाबन्दी सम्वत 2009-12 मे जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 430 दिनांक 7.5.1957 से यह भूमि महकमा जगलात के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। इसके साथ-साथ ही ख0न0 237/353, 238/354 की भूमि भी खाते से कम कर महकमा जगलात के नाम की गई है। जिसकी जानकारी वादीगण एवं उनके बुजुर्गो को है। वादीगण एवं उनके पूर्वज इस भूमि पर सम्वत 2009 से आज तक कभी भी काबिज नही रहे है। महकमा जंगलात का ही कब्जा रहा है। वादीगण ने जिला कलक्टर करौली के पारित आदेश दिनांक 7.5.1957 की कोई अपील पेश नही की है। आदेश आज तक यथावत है न्यायालय हाजा द्वारा महकमा जगलात के नाम दर्ज खातेदारी रिकार्ड के संबध मे तब्दीली नही हो सकती है। नाही इनको कोई खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है प्रतिवादीगण राजकीय अधिकारी है जिनके मन मे किसी प्रकार की बदयान्ति नही होती है। वादी ने बॉका दिनांक 3.2.2014 गलत रूप से दर्ज किया है। वादी सारे तथ्य झूटे व काल्पनिक दर्ज किये है दावा खारिज योग्य है।

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया यह है कि ग्राम असरो की आराजी साबिक ख0न0 175/351 मिन रकवा 44 बीघा जिसके नवीन ख0न0 574/8.28, 589/0.20, 590/0.11, 591/0.11, 592/0.03, 635/0.28, 574/929/0.37 बने है, खातेदारी महकमा जगलात के हक मे दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी वादीगण के कब्जे व खातेदारी की आराजी है, जिसकी खातेदारी सम्वत 2012 तक वादीगण के पूर्वज महमूद हक के नाम दर्ज थी। रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2009–12 मे आदेश संख्या 430 दिनांक 7.5.1957 का नोट डाल दिया जिससे आगामी रिकार्ड मे महमूद का नाम हटाकर महकमा जंगलात दर्ज कर दिया है जबकि ऐसा कोई आदेश नही है। इसलिये दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

(जिम्मेवादी)

2. आया यह है कि उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है सैकडो सालो से शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है महकमा जगलात अवैध दर्ज कर दिया है जिसे हजफ कराकर खातेदारी दर्ज कराने के हकदार है

(जिम्मेवादी)

3. आया यह है कि वादीगण के कब्जेकाश्त की आराजी से बेदखल नही करने के लिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार है।

(जिम्मेवादी)

4. आया यह है कि ग्राम असरो की भूमि ख0न0 574/8.28, 589/0.20, 590/0.11, 591/0.11, 592/0.03, 635/0.28, 574/929/0.37 की खातेदारी महकमा जंगलात के नाम व अन्य खसरा नम्बरान के साथ–साथ दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 मे इस भूमि का गत ख0न0 175/341 रकवा 44 बीघा से बनना दर्शाया है तथा महमूद हक के फौत हो जाने पर वारिसान और भी है जिनके द्वारा वादपत्र पेश नही किया है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

5. आया यह है कि भूमि ख0न0 574/8.28, 589/0.20, 590/0.11, 591/0.11, 592/0.03, 635/0.28, 574/929/0.37 ग्राम असरो की जमाबन्छी सम्वत 2009–12 मे जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 430 दिनांक 7.5.1957 के द्वारा यह भूमि जंगलात मे गई है। इस खाते मे से 175/351 के साथ–साथ गत ख0न0 137/353, 238/254 को भी खाते मे से कम किया है तथा महकमा जंगलात के नाम दर्ज किया है।जिसकी जानकारी वादीगण व उनके बुजुर्गो को है वादीगण का कब्जा नही है जगलात महकमा का कब्जा है वादीगण का मुकदमा खारिज किया जावे।

(जिम्मेप्रतिवादी)

6. आया यह है कि वादीगण ने जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 430 दिनांक 7.5.1957 की कोर्ट अपील नही की है न्यायालय हाजा को महकमा जगलात के नाम दर्ज भूमि के रिकार्ड के संबध मे नल एण्ड बोईड व प्रभावहीन करार नही दे सकती है। न्यायालय हाजा को ऐसे वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकारी नही है दावा खारिज योग्य है।

(जिम्मेप्रतिवादी)

7. आया यह है प्रतिवादीगण राजकीय अधिकारी है जिनमे मन मे बदयान्ति नही होती है दिनांक 3.2.14 को कोई भी बाका होना गलत दर्शाया है, गलत मनगढंत रूप से वादी ने दावा पेश किया है दावा खारिज योग्य है।

(जिम्मेप्रतिवादी)

वादी की ओर से वादपत्र के समर्थन मे ग्राम असरो की नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–70 प्रदर्श–1,2, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2010 प्रदर्श–4,5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2009–12 प्रदर्श–6, नकल

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का मांगपत्र प्रदर्श-7, नकल प्रार्थना पत्र की प्रति जो जिला कलक्टर रिकार्ड रूम सवाई माधोपुर को पेश की प्रदर्श-8, शपथ पत्र वादी मरगूब अहमद पेश किये है।

प्रतिवादी की और से जबाब दावा के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-74 प्रदर्श-डी 1, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043-62 प्रदर्श-डी 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2009-12 प्रदर्श-डी 3, तथा शपथ पत्र बृजमोहन गूर्जर हाल वन प्रसार अधिकारी गुढाचन्द्रजी पेश किये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस मे दोहराया एवं कथन किया कि भूमि के जंगलात मे जाने का जो नोट अंकित है, वह कही भी अस्तित्व मे नही है। वर्णित आराजीयात वादीगण बजमाने बुजुर्गान बकरिया चराते आ रहे है पाला पूला इत्यादि काट रहे है। कब्जा वादीगण का है। जमाबन्दी मे अंकित नोट का इन्द्राज जो गलत दर्ज किया है। उसे हटाकर इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगण को खातेदार कश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जावे।

वकील प्रतिवादी ने जबाब दावा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि मवेशी चराने मात्र से एडवर्स पजेश्न नही हो जाता है। मवेशी तो जंगल मे ही चरते है। यह आराजी जंगलात के कब्जे की भूमि है। इस पर कभी भी कश्त नही हुई है। 67 वर्ष पूर्व से ही यह भूमि जंगलात विभाग के नाम दर्ज है। इतने वर्ष बाद दावा किया जाना हास्यास्पद है। वादीगण ने अन्य जो भूमि इस खाते मे दर्ज थी उसमे से कुछ जमीन विकय की है। तब भी तो इनको उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के जंगलात विभाग के नाम होने की जानकारी रही होगी। जमाबन्दी मे अंकित जिला कलक्टर के नोट कमांक 430 दिनांक 7.5.1957 जिससे भूमि जंगलात विभाग के नाम हुई है के विरूद्व वादीगण ने आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत नही की है। वादीगण काबिज नही है। नाही यह प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का है अतः दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय इस प्रकार है:-

तनकी न0 1 व 2 :- दोनो तनकीयो का निर्णय एक साथ इस प्रकार है कि ग्राम असरो की जमाबन्दी सम्वत 2067-70 प्रदर्श-1,2 के अनुसार आराजी ख0न0 574/8.28, 589/0.20, 590/0.11, 591/0.11, 592/0.03, 635/0.28, 574/929/0.37 है0 की खातेदारी महकमा जंगलात के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बरान मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043-62 प्रदर्श-3 के अनुसार साबिक ख0न0 175/351 से बनाये गये है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2010 प्रदर्श-5 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 175/351 रकवा 44 बीधा की खातेदारी महमूद हक बल्द अहमद अली के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस खाते मे नोट दर्ज है, कि हस्व आदेश कलक्ट्री न0 430 दिनांक 7.5.1957 के अनुसार ख0न0 175/351, 237/353, 238/354 जंगलात मे जाने की वजह से इस खाते से कम किये जावे। इससे यह साबित है कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात भी जिसका रकवा 49 बीधा 16 बिस्वा है का वादपत्र मे उल्लेख नही किया गया है। अर्थात इस भूमि के महकमा जंगलात के नाम होना वादीगण स्वीकार करते है। दिनांक 7.5.1957 के 57 वर्ष पश्चात वादीगण की ओर से यह दावा दिनांक 20.03.14 को प्रस्तुत किया है। पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज भी शामिल नही है, जिससे यह साबित होता हो कि नोट गलत अंकित हुआ है। कब्जे कश्त का भी कोई साक्ष्य सबूत वादीगण की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। बल्कि स्वंय ही बकरिया चराना एवं पाला पूला काटने को अपना कब्जा बता रहे है

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

दस्तावेज भी शामिल नही है, जिससे यह साबित होता हो कि नोट गलत अंकित हुआ है। कब्जे काश्त का भी कोई साक्ष्य सबूत वादीगण की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। बल्कि स्वंय ही बकरिया चराना एवं पाला पूला काटने को अपना कब्जा बता रहे है इन तथ्यो को कब्जे का आधार किसी भी आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार उक्त तनकीयात बखिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी न0 3:– तनकी न0 1 व 2 मे स्पष्ट है कि वर्णित आराजीयात पर वादीगण काबिज नही है। तो प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः यह तनकी बखिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी न0 4, 5, 6 का निर्णय एक साथ इस प्रकार है कि ग्राम असरो की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 प्रदर्श–डी 1 के अनुसार आराजी ख0न0 574/8.28, 589/0.20, 590/0.11, 591/0.11, 592/0.03, 635/0.28, 574/929/0.37 है0 की खातेदारी महकमा जंगलात के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बरान मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–डी 2 के अनुसार साबिक ख0न0 175/351 से बनाये गये है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2010 प्रदर्श–डी 3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 175/351 रकवा 44 बीधा की खातेदारी महमूद हक बल्द अहमद अली के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस खाते मे नोट दर्ज है, कि हस्व आदेश कलक्ट्री न0 430 दिनांक 7.5. 1957 के अनुसार ख0न0 175/351, 237/353, 238/354 जंगलात मे जाने की वजह से इस खाते से कम किये जावे। वादी ने वाद पत्र मे साबिक ख0न0 175/351 का ही दावा पेश किया है जबकि उक्त साबिक खसरा नम्बर के साथ अन्य साबिक ख0न0 237/353, 238/354 भी एक ही आदेश से जंगलात विभाग के नाम दर्ज हुये है वादीगण द्वारा दो खसरा नम्बरान का वाद पत्र मे उल्लेख नही करना संदेहास्पद है। अर्थात उन्हे 57 वर्ष पूर्व ही उक्त आदेश की जानकारी ही होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी के आधार पर कब्जा महकमा जंगलात का होना प्रमाणित है। अतः उक्त तीनो तनकीयात प्रतिवादीगण के हक मे निर्णित की जाती है।

तनकी न0 7:– प्रतिवादीगण राजकीय सेवा मे अधिकारी है। राजकीय अधिकारीयो के मन मे किसी भी प्रकार की बदयान्ति होना अनुचित हैं। जो कि शपथ पत्र से साबित है अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के हक मे निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय एवं विवेचन के आधार पर वादीगण का दावा खारिज योग्य पाता हूँ।

आदेश

दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उपखण्ड (कलक्टर)
टोडाभीम जिला करौली

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.02 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: